



# राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, मुंबई

NATIONAL INSTITUTE OF FASHION TECHNOLOGY, Mumbai

NIFT/Mum/JDO/Circular & Orders/2022

Date: 05.01.2026

## कार्यालय आदेश/OFFICE ORDER

सूचना प्राप्त करने का अधिकार प्रत्येक नागरिक का कानूनी अधिकार है जिसे सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत मान्यता प्राप्त और संरक्षित किया गया है। यूजीसी ने विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के लिए संस्थान स्तर पर आरटीआई समिति का गठन करना अनिवार्य कर दिया है ताकि अधिकार को लागू करने और सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की पूर्व शर्तों का पालन करने के लिए एक तंत्र प्रदान किया जा सके।

The right to get information is a legal right of every citizen which is recognised and protected under the Right to Information Act, 2005. UGC has made it mandatory for Universities and Colleges to constitute RTI Committee at the Institution level to provide a mechanism for enforcing the right and complying with the pre-conditions of the Right to Information Act, 2005.

इस संदर्भ में, निफ्ट मुंबई के निम्नलिखित अधिकारियों और संकाय सदस्यों को निफ्ट मुंबई परिसर के लिए आरटीआई समिति के रूप में नामित किया गया है।

In this context, the following Officials and Faculty members of NIFT Mumbai have been nominated as the RTI Committee for NIFT Mumbai Campus.

सहायक जनसूचना अधिकारी Assistant Public Information Officer	श्रीमती. पौर्णिमा नायकोडी, सहायक निदेशक (शैक्षणिक) Smt. Pournima Naikodi, Asst. Director (Academic)
जन सूचना अधिकारी - शैक्षणिक मामले Public Information Officer - Academic Matters	प्रोफे. (डॉ.) रंजन कुमार सहा Prof. Dr. Ranjan Kumar Saha
जन सूचना अधिकारी - गैर-शैक्षणिक मामले Public Information Officer - Non-Academic Matters	श्री. खुशल जांगिड, संयुक्त निदेशक Shri. Khushal Jangid, Joint Director
अपीलीय अधिकारी Appellate Authority	प्रो. (डॉ.) अजीत कुमार खरे, निदेशक Prof. Dr. Ajit Kumar Khare, Director



सेवा में,  
सभी समिति सदस्य

प्रतिलिपि,  
संयुक्त निदेशक कार्यालय  
उप निदेशक (वित्त एवं लेखा)  
सभी संकाय, अधिकारी और कर्मचारी सदस्य  
निफ्ट मुंबई परिसर का नोटिस बोर्ड

अजीत खरे  
निदेशक  
निफ्ट मुंबई